FORM No. iii
फर्द अहकाम
(नियम)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी जिला नागौर(राज0)

प्रार्थी	
राजस्थान राज्य सरकार जरिये तहसीलदार कुचामनसिटी जिला नागौर	

किस्म मुकदमा प्रार्थना–पत्र धारा 131, 132 R.L.R.Act 1956 व नियम 58, 59, 60, 66, 86 राजस्थान भू–अभिलेख नियम 1957

प्रार्थना–पत्र नम्बर 319/2021 **GCMS No. 2021/424**

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
03.09.2021	राजस्थान राज्य सरकार की ओर से जरिये तहसीलदार कुचामनसिटी की ओर से प्रार्थना–पत्र धारा 131, 132 R.L.R.Act 1956 व नियम 58, 59, 60, 66, 86 राजस्थान भू–अभिलेख नियम 1957 के तहत प्रस्तुत किया। प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रकरण का अवलोकन किया गया। राजस्थान राज्य सरकार की ओर से जरिये तहसीलदार कुचामनसिटी के द्वारा **ग्राम चितावा पटवार मण्डल चितावा तहसील कुचामनसिटी के खसरा नम्बर 1392/644** में जा रहे चालू रास्ते का अंकन राजस्व अभिलेख में करवाने हेतु प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 131, 132 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 एवं नियम 58, 59, 60, 66, 86 राजस्थान भू– अभिलेख नियम 1957 का मय दस्तावेजात नकल जमाबन्दी, नकल नक्शा, रिपोर्ट पटवारी हल्का परिशिष्ट "ए" अभिशंषा तहसीलदार कुचामनसिटी प्रस्तुत करने पर पत्रावली पेश हुई। प्रार्थना–पत्र इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया जावें। तहसीलदार कुचामनसिटी से प्राप्त पत्रावली मय दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन व मनन किया गया, जिससे प्रार्थी द्वारा पेश प्रार्थना–पत्र उचित प्रतीत होता है, अतः प्रार्थी द्वारा पेश प्रार्थना–प[illegible] है। आदेश पृथक से लिखाया जाकर संलग्न [illegible] रहे। तहसीलदार कुचामनसिटी आदे[illegible] में अमल दरामद करे। मिसल [illegible] नम्बर से कम ह[illegible] जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।	
	उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)	

Signature Not Verified
Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2021.12.21 16:48:51 IST
Reason: SelfAttested